अंचल अधिकारी का कार्यालय, मनोहरपुर।

Email ID-comanoharpur123@gmail.com

प्रेषक, पत्रांक 518

दिनांक 21-9-2022

अंचल अधिकारी,
मनोहरपुर।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

विषय : श्रीकान्त भुईयाँ अध्यक्ष, GEL चर्च प्रॉपर्टी कमिटि, मनोहरपुर द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय के पत्रांक–300(A)/न्या०; दिनांक–18.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्रीकान्त भुईयाँ अध्यक्ष GEL चर्च प्रॉपर्टी कमिटि, मनोहरपुर के द्वारा GEL चर्च डोंगाकाटा मनोहरपुर में स्थित भूमि पर अवैध व जबरन रूप से कब्जा करने संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कहना है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं०–112, थाना सं०–85, खेसरा सं०–109,110,446 एवं 621 कुल रकवा–5 एकड़ 17 डिसिमील भूमि मौजा–नन्दपुर अंचल मनोहरपुर में स्थित है, उक्त भूमि 1964 के सर्वे सेटलमेंट में GEL चर्च प्रॉपर्टी के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियान के कैफियत कॉलम में किसी का भी दखल दर्ज नहीं है। उक्त भूमि के सीमांकन तथा घेराबन्दी करने हेतु GEL चर्च प्रॉपर्टी मनोहरपुर के अध्यक्ष श्रीकान्त भुईयाँ द्वारा दिनांक–18.01.2022 एवं 19.01.2022 को ऑनलाईन माध्यम् से आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल कार्यालय मनोहरपुर से सीमांकन हेतु दिनांक–14.02.2022 एवं 15.02.2022 की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि को सीमांकन हेतु अंचल कार्यालय की टीम जब उक्त स्थल पहुँची तो वहाँ सरना समाज की तरफ से करीब 200 से 300 महिला पुरूष द्वारा सीमांकन कार्य का विरोध किया तथा उक्त भूमि पर विगत कई वर्षों से सरना समाज द्वारा पूजा–पाठ करने की बात कही गई, तथा उक्त भूमि सरना समाज के होने की बात कही गई। भारी विरोध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उक्त तिथि को सीमांकन का कार्य स्थागित कर दिया गया, तथा सरना समाज को उक्त भूमि के दावा के संदर्भ में आवश्यक कागजात की मांग की गई। परन्तु सरना समाज के द्वारा उक्त भूमि पर दावे से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सरना समाज के द्वारा अपने बयान में बताया गया की प्रश्नगत भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से सरना पूजा होता आया है, तथा करमा, सरहुल एवं मागे पर्व के अवसर पर गाँव के सरना समाज द्वारा उक्त भूमि पर पूजा–पाठ का कार्य किया जाता रहा है।

उक्त स्थिति के आधार पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व अभिलेखों तथा उक्त भूमि का भौतिक सत्यापन कर जाँच किया गया जिसमें निम्नलिखित बातें प्रकाश में आयी :–

Scanned with OKEN Scanner

(1) प्रश्नगत भूमि जिसका खाता संख्या–112, खेसरा संख्या–109,110,446 एवं 621 कुल रकवा 5.17 एकड़ खतियान में GEL चर्च प्रॉपर्टी के नाम से दर्ज है।

(2) प्रश्नगत भूमि पर एक हिस्से में GEL चर्च अवस्थित है।

(3) शेष भूमि परती है तथा उसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं है।

(4) शेष परती भूमि पर GEL चर्च का कभी भी दखल नहीं रहा है एवं 1964 के सर्वे सेटलमेन्ट के बाद खतियान में शेष परती भूमि चर्च के नाम प्रकाशित होने के बावजूद आज तक GEL चर्च अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के दखल में नहीं रहा।

(5) प्रश्नगत भूमि पर जाँच के क्रम में पाया गया कि ड़ोंगाकाटा एवं आसपास के ग्रामीण उक्त भूमि के एक हिस्से में सरहुल, करमा एवं मागे पर्व के मौके पर पूजा–पाठ करते हैं, तथा उक्त भूमि को अपने पूर्वजों का बताते हैं, एवं छल–कपट के द्वारा चर्च के नाम खतियान बनने की बात करते हैं।

(6) जाँच के क्रम मे पाया गया कि विवाद का मूल कारण उक्त भूमि का खाली रहना है। उक्त भूमि पर आज तक न तो GEL चर्च का दखल है और न ही सरना समाज का दखल है। खाली पड़े रहने के कारण पर्व त्योहार के अवसर पर सरना समाज द्वारा पूजा–पाठ किया जाता है, तथा क्रिसमस इत्यादि के अवसर पर GEL चर्च के द्वारा भी उक्त भूमि का उपयोग किया जाता है, परन्तु उक्त भूमि पर दोनों पक्षों में से किसी का दखल कब्जा नहीं है।

(7) GEL चर्च के अध्यक्ष द्वारा आवेदन देकर अंचल कार्यालय द्वारा उक्त परती भूमि का सीमांकन कराकर उक्त भूमि पर दखल दिलवाने की बात कही गई।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उक्त विवाद का मूल कारण सीमांकन नहीं बल्कि उक्त भूमि पर किसी का दखल नहीं होना है। GEL चर्च द्वारा सीमांकन के आवेदन के आधार पर उक्त भूमि पर दखल कब्जा करने की बात कही जा रही है, जो कि विधिसंगत नहीं है। चूँकि उक्त भूमि कभी भी चर्च के दखल में नहीं रही है एवं सरना समाज के द्वारा भी उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है ऐसी परिस्थिति में उक्त भूमि विवादास्पद है जिसका निराकरण सीमांकनवाद से नहीं बल्कि सक्षम न्यायालय में दखल–दिहानी का आदेश प्राप्त कर किया जा सकता है।

चूँकि अंचल कार्यालय विवादास्पद भूमि पर दखल–दियानी कराने हेतु सक्षम नहीं है, उक्त आधार पर GEL चर्च मनोहरपुर के सीमांकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उन्हें सर्वप्रथम सक्षम न्यायालय से दखल–दिहानी का आदेश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

21/9/22

अंचल अधिकारी

मनोहरपुर।

21/9/2022

Digitally signed by PRADEEP KUMAR
Date: 2024.09.12 19:01:57 +05:30
Location: 192.168.43.182

Scanned with OKEN Scanner